	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर– 32/2024 मो0 आरिफ राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2024	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कस्बा झुन्झुनू स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.2840 है0 में प्रार्थीगण का नाम आरिफ पुत्र अब्दुल, जावेद पुत्र अब्दुल, वाहिद पुत्र अब्दुल अप्रार्थी संख्या 02 का नाम रजिया पत्नी अब्दुल मजीद तथा अप्रार्थी संख्या 03 का नाम नदीम पुत्र अब्दुल दर्ज हो जो कि गलत है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के सही नाम आरिफ पुत्र अब्दुल की बजाय मोहम्मद आरिफ तंवर पुत्र अब्दुल मजीद तंवर, वाहिद पुत्र अब्दुल की बजाय अब्दुल वाहिद तंवर पुत्र अब्दुल मजीद तंवर, जावेद पुत्र अब्दुल की बजाय ईकबाल उर्फ जावेद पुत्र अब्दुल मजीद तंवर व अनावेदिका संख्या 02 के पति का नाम अब्दुल मजीद की बजाय अब्दुल मजीद तंवर व अनावेदक संख्या 3 नदीम पुत्र अब्दुल की बजाय अब्दुल मजीद तंवर दुरूस्त किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। अनावेदक संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार झुन्झुनू ने पत्रांक भू0अ0/2024/1331 दिनांक 15.07.2024 द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसे शामिल मिशल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा शपथ पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, संबधित वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का राजस्व रिकार्ड में नाम अलग है तथा अन्य दस्तावेजातों में नाम अलग दर्ज है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजातों एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। **आदेश** उक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर कस्बा झुन्झुनू तहत तहसील झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.2840 है0 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम आरिफ पुत्र अब्दुल की बजाय मोहम्मद आरिफ तंवर पुत्र अब्दुल मजीद तंवर, वाहिद पुत्र अब्दुल की बजाय अब्दुल वाहिद तंवर पुत्र अब्दुल मजीद तंवर, जावेद पुत्र अब्दुल की बजाय ईकबाल उर्फ जावेद पुत्र अब्दुल मजीद तंवर व अनावेदिका संख्या 02 के पति का नाम, अब्दुल मजीद की बजाय अब्दुल मजीद तंवर व अनावेदक संख्या 3 नदीम पुत्र अब्दुल की बजाय नदीम पुत्र अब्दुल मजीद तंवर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 30.09.2024 को सुनाया गया। 30/09/24 (हवाई सिंह यादव)	

Scanned with OKEN Scanner